

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462018

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

क्रमांक / टीसी / 14 / उपां / नग्रानि / उज्जैन भोपाल, दिनांक:- / 12 / 2017
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला उज्जैन(म.प्र.)।
2. आयुक्त,
नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)।
3. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, उज्जैन
जिला कार्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।

विषय:- उज्जैन विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ने उज्जैन विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है । जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- यथोपरि

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल

पृ.क्रमांक 7013 / टीसी / 14 / उपां / नग्रानि / उज्जैन भोपाल दिनांक:- 27 / 12 / 2017
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

A2710

30/12

(स्वाति मीणा नायक)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेस कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 27/12/2017

क्रमांक 70)2-14/उपां/टीसी/उज्जैन/2017 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उज्जैन विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क0	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	नागझिरी	79/मिन-1	4.037	औद्योगिक एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक (शैक्षणिक) एवं मार्ग
		योग:-	4.037 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, उज्जैन को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0भोपाल

Directorate, Town and Country planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh

Email—mptownplan@mp.gov.in, Phone No—0755.2427091

Notice

Bhopal, Dated. 27 /12 /2017

No. 7012 14/CL/TC/Ujjain/2017 In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Ujjain Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Khasara No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the Development plan	Proposed Land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Nagjhiri	79/Min-1	4.037	Industrial and Road	Public and Semi Public (Educational) and Road
		Total:-	4.037 Ha		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, District Ujjain as well as on the web site. www.mptownplan.gov.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Joint Director, Town and Country Planning, District office Ujjain, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director.

(Swati Meena Naik)

Director

Town and Country planning

Madhya Pradesh Bhopal